भारत के राजपत्र), असाधारण, के भाग।।-, खंड-3, उप) खंड-i(में प्रकाशनार्थ (

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(विभागराजस्व)

अधिसूचना संख्या 17/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1269 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) शब्द "स्वर्ण", जहां-जहां भी यह आया हों के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार